लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर (गढ़वाल) के अवधि माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री आर.एन. यादव, श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री शेखर वर्मा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10/05/2016 से 16/05/2016 तक में सम्पन्न लेखापरीक्षा का डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. इस खण्ड की प्रथम लेखापरीक्षा (नई इकाई)

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2012 से 04/2016 तक के लेखाभिलेखों की सामान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालयाध्यक्ष नें खण्ड का कार्यभार सम्भाले रखा।

   1. श्री रघुवीर भाल स.निदेशक (मृ.परी.) – 04.07.2012 से वर्तमान तक

3. पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति निम्नवत् थीः-

क्र0सं0	**लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष**	**अनिस्तारित कण्डिकाएं**	
		भाग दो 'अ'	**भाग दो 'ब'**
शून्य (नई इकाई)			

4. अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

5. सतत अनियमिततायेः- शून्य

6. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(` लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	कुल आवंटन		कुल व्यय	
			प्लान	नान प्लान	प्लान	नान प्लान
1.	2012-13	2401	2.91	54.98	2.30	54.85
2.	2013-14	2401	3.15	116.96	2.97	64.62
3.	2014-15	2401	2.44	68.70	2.43	64.40
4.	2015-16	2401	2.18	80.48	2.17	78.47
5.	अप्रैल 2016 तक	2401	-	32.50	-	14.11

STAN

प्रस्तरः1- निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में अपेक्षित सफलता प्राप्त न किया जाना।

कार्यालय सहायक निदेशक (मृदा परी.) क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर (गढ़वाल) की लेखापरीक्षा जांच के दौरना पाया गया कि कार्यालय हेतु वर्षवार कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. कृ.नि./121/मृदा परी.लक्ष्य/2013-14 दि. 24.04.2013 एवं 153/मृदा परी. लक्ष्य/2014-15 दि. 07.04.2014 द्वारा क्रमशः वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 के लिए मृदा परीक्षण का जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

कार्यालय की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि पौडी, रूद्रप्रयाग टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार एवं चमोली जिलों में वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 में प्राथमिक व सूक्ष्म तत्वों के लिए किये जाने वाले मृदा परीक्षण लक्ष्यों में कमी पायी गयी थी (विवरण संलग्न)।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि जनपदों में बजट के अभाव में रसायन क्रय समय पर न किये जाने तथा सापेक्ष क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा प्रयोगशाला को नमूना आपूर्ति नहीं करवायी गयी जिससे अपेक्षित लक्ष्य पूर्ति नहीं हुई। साथ ही कतिपय जनपदों में लक्ष्यों से बहुत अधिक मृदा परीक्षण की ओर इंगति किये जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि कृषकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं जैसे शिक्षण संस्थान, प्राइवेट संस्थान से नमूना प्राप्त कर किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट कम होने पर भी कार्यालय द्वारा शिक्षण संस्थाओं एवं एन.जी.ओ. व प्राइवेट संस्थानों का भी मृदा परीक्षण कार्य किया गया तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों को अपेक्षित नमूना प्राप्त करने हेतु कोई निर्देश नहीं दिया गया जिससे कि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त न होने से किसान मृदा परीक्षण कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः 2- वर्ष 2015-16 में केन्द्र पोषित मृदा स्वास्थ कार्ड योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में 38 प्रतिशत की कमी (Short Fall).

कार्यालय सहायक निदेशक (मृ.परी.), क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर (गढ़वाल) के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि केन्द्र पोषित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में गढ़वाल मण्डल के जिलों में कुल वार्षिक लक्ष्य 34493 निर्धारित किया गया था, परन्तु उक्त निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष के अन्त में (मार्च 2016) कुल विश्लेषित मृदा नमूनों की संख्या मात्र 21403 थी। इस प्रकार कुल निर्धारित लक्ष्य का मात्र 62 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका तथा योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करनें में 38 प्रतिशत की कमी (Short fall) रही। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः

क्रम स.	जनपद का नाम	कुल वार्षिक निर्धारित लक्ष्य	विश्लेषित मृदा नमूनों की संख्या	विश्लेषित मृदा नमूनों का प्रतिशत	लक्ष्य प्राप्ति में कमी %
1	2	3	4	5	6
1.	पौड़ी	4107	2975	72%	28%
2.	रूद्रप्रयाग	1001	429	43%	57%
3.	टिहरी	2551	1231	48%	52%
4.	उत्तरकाशी	1423	1431	101%	-
5.	देहरादून	4730	2469	52%	48%
6.	हरिद्वार	19110	12000	63%	37%
7.	चमोली	1571	868	55%	45%
योग		34493	21403	62%	38%

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर कार्यालय ने अवगत कराया कि मृदा नमूना ग्रहण समय के अन्तर्गत अधिक वर्षा के कारण नमूना लेने की स्थिति नहीं बनती है। नमूने की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा लक्ष्य की पूर्ति करवाई जाती है, उनको समय-समय पर मुख्य कृषि अधिकारी एवं कृषि एवं भूमिसंरक्षण अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश पारित किया जाता है, प्रयोगशाला स्तर पर विश्लेषण का कार्य होता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्षा के अतिरिक्त समय में भी पर्याप्त मृदा नमूना संग्रहित किया जा सकता था तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मृदा नमूना प्राप्त कराने के संबंध में अपेक्षित निर्देश नहीं दिये गये थे, जिससे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में कमी से किसान मृदा परीक्षण के लाभ से वंचित रहे।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण) क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला श्रीनगर (गढ़वाल)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II